उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

अनुज्ञप्ति रद्द अपील वाद संख्या–03/2016

प्रकाश चंद्र प्रजापति

–बनाम–

राज्य, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी/तारीख*
दिनांक : दिनांक :- 13.09.2022	1. प्रस्तुत मामला अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति संख्या–02/92 को रद्द किये जाने के विरूद्ध अपील किये जाने से संबंधित है। 2. अपीलार्थी श्री प्रकाश चंद्र प्रजापति पिता–स्व0 सोना राम प्रजापति के द्वारा आवेदन–पत्र के माध्यम से बताया गया है कि उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान विधिवत् चलाया जा रहा था। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के मौखिक आदेशानुसार दिनांक 26.05.2016 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चुरचू के द्वारा समर्पित की गई निरिक्षण प्रतिवेदन के आलोक में सुनवाई हेतु मौका दिये बिना रद्द कर दिया गया। 3. अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उनके अनुज्ञप्ति को तथ्यहीन आरोपों के आधार एवं जांच प्रतिवेदन पर उनके पक्ष सुने बिना रद्द कर दिया गया। 4. उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप कि जनवितरण प्रणाली दूकानदार श्री प्रकाश चंद्र प्रजापति के द्वारा माह मई 2016 के खाद्यान्न वितरण के कम में माह मार्च एंव अप्रैल 2016 के खाद्यान्न का वितरण किये बिना कार्डधारियों के राशन कार्ड पर चढा दिया गया, निरिक्षण के दौरान श्री प्रजापति के द्वारा संबंधित वितरण पंजी एवं अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, सभी	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी/तारीख
	आरोप तथ्यहीन है एंव उन्ही आरोपो के आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है।	
	5. अपीलार्थी द्वारा पुनः बताया गया कि उनके उपर लगाये गये तथ्यहीन आरोपों के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के ज्ञापांक–240/आ0 दिनांक– 04.06.2016 द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए कारण पृच्छा किया गया जिसके आलोक में उनके द्वारा कारणपृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, उक्त जवाब में उनके द्वारा सभी आरोपों को निराधार बताया गया तथा यह भी बताया गया कि प्रत्येक माह में उपावंटित सामग्री का उठाव कर सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एंव दर पर ही कार्डधारियों के बीच वितरण कर उनके राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाता है साथ ही अनुज्ञप्ति के किसी भी शर्तो का उल्लंघन नहीं कि गया है ,कार्डधारियों के अलावा उस परिवार का अन्य सदस्य यदि राशन उठाव के लिए आते हैं तो संबंधित वितरण पंजी पर कभी अपना हस्ताक्षर करता है या कभी कार्डधारियों के नाम से हस्ताक्षर करते है जिसके कारण वितरण पंजी में हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई है।	
	6. इस संबंध में ग्रामीणों एवं उपभोक्ताओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन–पत्र समर्पित कर बताया गया था कि अपीलार्थी ग्रामीण राजनीति के शिकार हुए हैं।	
उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग	7. यह भी बताया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवं सहायक आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। और उनके पक्ष को सुने बिना अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश निर्गत कर दिया गया।	

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी/तारीख

8. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर कोई मंतव्य अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा अंकित नहीं है। अपीलार्थी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य जॉच प्रतिवेदन (आरोप) पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। इस प्रकार अनुज्ञप्ति प्राधिकार का आदेश नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के अनुपालन पर खरा नहीं उतरता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त अनुज्ञप्ति रद्द आदेश न्यायोचित नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है, परन्तु आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध पुनः कोई शिकायत न हो, के मद्देनजर अपीलार्थी को चेतावनी एवं दस हजार रू0 जुर्माना के साथ इस अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

13/9/22

उपायुक्त, हजारीबाग

13/9/22

उपायुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:26:55 +05:30
Location: 192.168.1.3